

1
दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग- 2

~~No-17234~~

No-17234.

§ विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

शुक्रवार, 9 फरवरी, 1996/माघ 20, 1917 §शक§

संख्या : 240

दिल्ली विधान सभा की नियम समिति वर्तमान में अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली की समीक्षा कर रही है। नियम समिति के समक्ष इस समय संसद और केरल तथा पश्चिम बंगाल जैसे विधान मंडलों में प्रचालित प्रणाली के समान विभागों से संबंधित सात विषय समितियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि और जब भी ये समितियां गठित की जाती हैं तो उसका मतलब होगा कि बजट प्रस्तुतीकरण के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाये और उसके बाद प्रत्येक विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों और अनुदान मांगों पर संबंधित विषय समितियों में विस्तार से चर्चा की जाए। समिति विस्तृत प्रावधानों की समीक्षा करेगी और एक प्रतिवेदन के रूप में सदन के पुनः समवेत होने के बाद अपनी सिफारिशें सदन में पेश करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले माननीय सदस्यों की राय भी इसके बारे में ली जाए। अतः, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित समिति प्रणाली के ऊपर अपने विचारों से कृपया इस सचिवालय को एक पक्षवाड़े के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें। नियमों का प्राख्य भी माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संलग्न है।

दिल्ली,
9 फरवरी, 1996.

पी. एन. गुप्ता
सचिव



विषय समितियाँ

1. तीसरी अनुसूची में दर्शायी गई संख्या के अनुसार विधान सभा की सात विषय समितियाँ होंगी ।
2. प्रत्येक विषय समिति तीसरी अनुसूची में उनके समक्ष दर्शाये गये विषयों और/ या उनसे सम्बन्धित मामलों पर विचार करेगी ।

परन्तु अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके समय-समय पर विषय समितियों में/ को संशोधन या विषयों को आबंटित कर सकेंगे ।

समिति का गठन

1. विधान सभा के प्रारम्भ से या समय-समय पर जैसा भी मामला हो प्रत्येक विषय समिति में सात सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
2. किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जायेगा, और यदि किसी सदस्य को अपने नामांकन के बाद मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

समिति का सभापति

प्रत्येक समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा ।

विषय समिति का कार्यकाल

प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी, परन्तु इन नियमों के अंतर्गत नाम-निर्देशित समितियाँ उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक नई समिति नियुक्त न हो जाए ।

समिति के कृत्य

प्रत्येक विषय समिति का कृत्य होगा -

- क. संबंधित विभागों को अनुदान मांगों पर विचार करना और उस पर सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना । प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों को प्रकृति के कोई सुझाव नहीं होंगे ।

- ख. संबंधित विभागों से संबद्ध ऐसे विधेयकों की जांच भड़ताल करना जो अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गये हों और उनके ऊपर अपना प्रतिवेदन तैयार करना ।
 - ग. विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना ।
 - घ. विषय समितियाँ संबद्ध विभागों के सामान्य प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी ।
- अनुदान मांगों से संबद्ध प्रक्रिया

प्रत्येक विषय समिति अपने विचाराधीन विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी और सदन में उसके ऊपर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी -

- क. सदन में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के उपरान्त सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित किया जाएगा ।
 - ख. समिति उपर्युक्त अवधि के दौरान संबद्ध विभागों को अनुदान मांगों पर विचार करेगी ।
 - ग. समिति निर्धारित अवधि के भीतर ही अपना प्रतिवेदन तैयार करेगी और अधिक समय की मांग नहीं करेगी ।
 - घ. समितियों के प्रतिवेदनों को मददेनजर रखते हुए सदन द्वारा अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा, और
 - ङ. प्रत्येक विभाग को अनुदान मांगों पर अलग-अलग प्रतिवेदन होंगे ।
- सामान्य नियमों का लागू होना

विषय समितियों से संबंधित मामलों के अलावा जिनके बारे में विशेष प्रावधान बनाए गए हैं । सदन की अन्य समितियों के मामलों में लागू सामान्य नियम विषय समिति पर उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

बैठकों का स्थान

विषय समितियाँ जब तक अन्यथा अध्यक्ष द्वारा अनुमति न दी जाए तब तक विधान सभा परिसर के अलावा अन्य किसी स्थान पर कार्य नहीं करेंगी ।

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART II

(General information relating to Legislative
and other matters)

Thursday, February 9, 1996/Magh 20, 1917 (shaka)

No. 240

The Rules Committee of Delhi Vidhan Sabha is presently engaged in reviewing the Rules of Procedure and Conduct of Business of its own. A proposal is under consideration before the Rules Committee to appoint seven new Departmentally - Related Subject Committees on the lines of committee system in operation at the level of Parliament and some of the State Legislatures like Kerala and West Bengal. If and when constituted, it would mean that the House would be adjourned after presentation of the budget whereafter the detailed provision of the budget and Demands for Grants of each department shall be discussed in the related - Subject Committees. The Committee will review the detailed provisions and present its recommendations in the form of a report to the House when it reassembles after the break.

Hon'ble Speaker has desired that before giving finality to the aforesaid proposal, views of Hon'ble members may also be ascertained. Hon'ble members are therefore requested to kindly let this Secretariat have their comments, if any, on the proposed Committee system within a fortnight. Draft rules are also enclosed for your kind consideration.

Delhi,
8th February, 1996.

P.N.GUPTA
SECRETARY

SUBJECT COMMITTEES

- (1) There shall be seven subject Committees as enumerated in the Third Schedule.
- (2) Each Subject Committee shall deal with the Subjects shown against it in the Third Schedule and/or matters relating to them:

Provided that the Speaker may in consultation with the Leader of the House modify or vary the allocation of subjects to the Subject Committees, from time to time.

Constitution of Committees

- (1) Each Subject Committee shall consist of seven members who shall be nominated by the Speaker, as soon as may be, after the commencement of the Assembly or from time to time, as the case may be.
- (2) A Minister shall not be nominated as a member of the Committee, and if a member after his nomination to Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

Chairman of the Committee

The Chairman of the Committee shall be nominated by the Speaker from amongst the members of the Committee.

Term of the Subject Committee

The term of office of Members of the Committees shall not exceed one year or until a new Committee has been nominated.

Functions of the Committee

- (1) The function of each of the Subject Committee shall be -
 - (a) to consider the Demands for Grants of the concerned departments and make a report on the same to the House. The report shall not suggest anything of the nature of cut motions;
 - (b) to examine such bills pertaining to the concerned Departments as are referred to the Committee by the Speaker and make report thereon;

- (c) to consider annual reports of Departments and make report thereon;
- (2) The Subject Committees shall not consider the matters of day to day administration of the concerned Departments.

Procedure relating to Demands for Grants

The following procedure shall be followed by each of the Subject Committees in their consideration of the Demands for Grants and making a report thereon to the House:-

- (a) After the general discussion on the Budget in the House is over, the House shall be adjourned for a fixed period;
- (b) the Committees shall consider the Demands for Grants of the concerned Departments during the aforesaid period;
- (c) The Committees shall make their report within the period and shall not ask for more time;
- (d) the Demands for Grants shall be considered by the House in the light of the reports of the Committees; and
- (e) There shall be a separate report on the Demands for Grants of each Department.

Applicability of general rules

Except for matters for which special provision is made in the rules relating to the Subject Committees the general rules applicable to other Committees of the House shall apply mutatis mutandis to the Subject Committee specified in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

Venue of sittings

The Subject Committees shall not work in any other place except the precincts of Assembly unless otherwise specifically permitted by the Speaker.